अकादमी तम्बाकू एवं
प्लास्टिक निषेध क्षेत्र है।

मुद्रक : अंकित प्रिन्टर्स, जयपुर

Rajasthan Police Academy

Security Justice & Peace

महिला एवं बाल डेस्क
पुलिस की भूमिका एवं दायित्व

मार्गदर्शिका

राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

महिला एवं बाल डेस्क
पुलिस की भूमिका
एवं दायित्व

मार्गदर्शिका

राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

मार्गदर्शन
हेमन्त प्रियदर्शी, IPS
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
मनीष अग्रवाल, IPS
उप निदेशक एवं प्राचार्य
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

सम्पादन
सुमन चौधरी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
धीरज वर्मा
पुलिस निरीक्षक

संकलन
धीरज वर्मा
यदुराज शर्मा (परामर्शद्)
विश्वास शर्मा (परामर्शद्)

प्रकाशन
राजस्थान पुलिस अकादमी
नेहरू नगर, जयपुर

हेमन्त प्रियदर्शी, IPS
अतिरिक्त महानिदेशक एवं निदेशक

राजस्थान पुलिस अकादमी
नेहरू नगर, जयपुर

संदेश

किसी भी सभ्य समाज के लिए महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है तथा पुलिस का कर्त्तव्य है कि वह महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करे। महिलाओं पर हो रहे अपराध न केवल पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं अपितु यह अपराध समाज को कलंकित करने के साथ ही महिलाओं में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं। हमारे संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रावधान किये गये हैं। इसी प्रकार देश की महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित नीतियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा पत्रों में भी उनके सम्पूर्ण विकास को प्राथमिकता दी गयी है।

बालकों के मामलों में यदि हमने बाल दुर्व्यवहार, ट्रेफिकिंग, कन्या भ्रूण हत्या, बाल भेदभाव जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो देश का समग्र व संतुलित विकास संभव नहीं है। अतः हमारा उत्तरदायित्व है कि महिला संरक्षण एवं किशोर न्याय के बुनियादी सिद्धान्तों के अनुरूप हिंसा एवं शोषण से उनकी रक्षा करें एवं महिला एवं बालकों से सम्बन्धित प्रकरणों में निष्पक्ष व त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। थानों पर गठित 'महिला एवं बाल डेस्क' का उत्तरदायित्व है कि वह थाने पर आने वाली हर महिला व बच्चे की तुरन्त सुनवाई कर उसे

राहत प्रदान करे तथा स्वयं भी ऐसे मामलों की रोकथाम हेतु सक्रियता से निरोधात्मक कार्यवाही करे। हम ऐसी किसी भी व्यवस्था पर गर्व नहीं कर सकते जिसमें हमारे बच्चे व महिलाऐं सुरक्षित महसूस नहीं करते हो।

यह पुस्तक **"महिला एवं बाल डेस्क : पुलिस की भूमिका एवं दायित्व"** सेन्टर फॉर सोशल डिफेन्स एण्ड जेण्डर स्टडीज, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा एक संक्षिप्त प्रयास है जो जनसाधारण में इस विषय पर समझ बनाने एवं पुलिस अधिकारियों को बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में सहायता करेगा।

आईये हम सब मिलकर महिला एवं बालकों को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने के अवसर देना सुनिश्चित कर मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें।

हेमन्त प्रियदर्शी
अतिरिक्त महानिदेशक एवं निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

महिला एवं बाल डेस्क

महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त एवं सुरक्षित वातावरण बनाए जाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सामाजिक एवं पारिवारिक कारणों से व्यथित महिलाऐं बिना किसी झिझक और परेशानी के संबंधित पुलिस थाने से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सके, महिलाऐं आसानी से अपनी बात कह सकें और अपनी समस्या के निदान हेतु उपयुक्त मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त कर सकें। इस विचार की पृष्ठभूमि में वर्ष 2004 में राजस्थान पुलिस द्वारा पुलिस थानों पर महिलाओं के लिए एक अलग से डेस्क स्थापित किए जाने की योजना लागू की गई। इसके साथ ही किशोर न्याय व्यवस्था के अनुरूप बालकों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार एवं प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु भी इस डेस्क को उत्तरदायी बनाया गया है। और डेस्क का नाम "महिला एवं बाल डेस्क" रखा गया है।

उद्देश्य

महिला एवं बाल डेस्क की स्थापना का उद्देश्य प्रत्येक थाने पर ऐसी व्यवस्था करना है जो महिलाओं और बच्चों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो और जहां महिलाऐं मित्रवत व सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिना किसी झिझक व दबाव के, अपनी वेदना व व्यथा व्यक्त कर सकें और उसके निदान के लिए उचित

परामर्श/मार्गदर्शन पा सकें, जहां आवश्यक हो शिकायत दर्ज कराने और उस पर उचित कानूनी कार्यवाही हेतु सहयोग प्राप्त कर सकें।

यह डेस्क बालकों की समस्याओं के प्रसंग में उचित सलाह व मार्गदर्शन देने के साथ–साथ, जहां आवश्यक हो, बच्चों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित कार्यवाही करेगी और महिला एवं बच्चों के संरक्षण, सहायता एवं उनके हित में संबंधित सेवाओं के साथ उपयुक्त समन्वय रखेगी।

स्थापना

महिला एवं बाल डेस्क के लिए निम्नांकित व्यवस्था सुनिश्चित की जावें–

- आपके अधीन जिन थानों पर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक है वहाँ महिला एवं बाल डेस्क पर प्रभारी के रूप में उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक (जहाँ तक संभव हो महिला अधिकारी) तथा जिन थानों पर थाना प्रभारी उप निरीक्षक है, वहाँ सहायक उप निरीक्षक/मुख्य आरक्षी (जहाँ तक संभव हो महिला अधिकारी) को नियुक्त किया जावे।
- महिला एवं बाल डेस्क प्रभारी की सहायतार्थ दो कानि. लगाये जावे जिनमें एक यथासंभव महिला कानि. सम्मिलित किया जावे।
- थाने पर कार्यरत बाल कल्याण अधिकारी को भी महिला एवं बाल डेस्क का सदस्य रखा जावें।

- जहां संभव हो डेस्क इन्चार्ज महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए।
- यदि थाने पर कोई महिला अधिकारी पदस्थापित नहीं हो तो थाने पर पदस्थापित किसी पुरूष पुलिस अधिकारी जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो उन्हीं को डेस्क इंचार्ज लगाया जावें।
- जिन जिलों में महिला कानिस्टेबल इतनी तादात में नहीं हो वहां पुरूष कानिस्टेबल भी लगाये जा सकते हैं। जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो, उन्हीं को महिला डेस्क में पदस्थापित किया जावें।
- महिला अधिकारी/महिला कानिस्टेबल के उपलब्ध होने पर पुरूष पुलिस अधिकारी/कानि0 को हटाकर महिला अधिकारी/कानि0 को पदस्थापित किया जावें।

चयन–प्रक्रिया

महिला एवं बाल डेस्क के लिए अधिकारी एवं कर्मियों का चयन करते समय निम्न बातों पर ध्यान रखा जाना अपेक्षित है:–

- वे महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशील हों,
- वे महिला एवं बाल डेस्क पर कार्य करने के प्रति रुचि रखते हों,

- उनको महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनों और व्यवस्थाओं की जानकारी हो,
- उनका जन सामान्य से अच्छा व्यवहार हो,
- वे महिलाओं और बच्चों के साथ आसानी से तादाम्य स्थापित कर सकें,

स्थान एवं सुविधाऐं

- महिला एवं बाल डेस्क के लिए पृथक से थाने के भवन में ऐसे स्थान पर जहां महिलाऐं तथा संबंधित व्यक्ति आसानी से पहुंच सकें, आवंटित किया जाएगा।
- यह कमरा मुख्यद्वार के पास होने पर अधिक सुविधा होगी। महिला एवं बाल डेस्क का कमरा इस प्रकार स्थित हो ताकि अंदर और बाहर दोनों ओर से दृश्य आसानी से दिखाई दे सकें।
- यदि किसी थाने पर अलग से कमरा दिया जाना संभव न हो तो महिला डेस्क की स्थापना के लिए ऐसा स्थान दिया जाए जहां महिला का आना–जाना सुगम हो और जहां वे सुरक्षित अनुभव कर सकें।
- डेस्क के लिए स्थान चयन करते समय यह भी ध्यान रखा जावेगा कि वहां महिलाऐं बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के या अन्य लोगों की दृष्टि में आये बिना झिझक अपनी बात कह सकें और उनकी बातों और उन्हें दी गई सलाह/मार्गदर्शन/कार्यवाही की गोपनीयता बनी रहें।

- परिसर में महिलाओं के लिए पृथक से टायलेट की सुविधा होनी चाहिए।
- पीने योग्य पानी व बैठने की व्यवस्था हो।
- महिला एवं बाल डेस्क के लिए अलग से टेलीफोन की व्यवस्था हो।
- आकस्मिक परिस्थितियों में डेस्क के अधिकारी/कर्मियों को आने–जाने के लिए थाना प्रभारी के माध्यम से वाहन सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी;
- महिला एवं बाल डेस्क के कक्ष एवं परिसर के बाहर स्पष्ट एवं पठनीय अक्षरों में महिला एवं बाल डेस्क का नाम पटट् एवं दूरभाष नम्बर अंकित किये जावेगें।

कार्य प्रक्रिया

महिला एवं बाल डेस्क पर आने वाली किसी व्यथित महिला अथवा किसी बालक का प्रकरण प्राप्त होने पर निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाएगीः–

1. थाने पर किसी भी महिला फरियादी के आने पर महिला डेस्क के अधिकारी द्वारा सुना जावेगा और जैसी समस्या होगी उसके निदान हेतु महिला डेस्क पर पदस्थापित स्टाफ यथोचित कार्यवाही करेगा।
2. महिला डेस्क की यह ड्यूटी होगी कि थाने पर आने वाली महिला की सबसे पहले सुनवाई करेगी।

3. महिला को सुनने के पश्चात अगर कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता महसूस करते हैं तो महिला को थानाधिकारी के पास कानूनी कार्यवाही हेतु लेकर जायेगें।

4. महिला को काउंसलिग की आवश्यकता होने पर महिला संगठनों के सलाहकार (एन0जी0ओ0) के पास, एवं यदि मेडिकल की जरूरत है तो डॉक्टर के पास भिजवायेगें।

5. इसके अलावा यदि और कोई तरह का मामला डेस्क के पास आता है तो महिला डेस्क इंचार्ज थानाधिकारी से विचार–विमर्श कर आने वाली फरियादी महिला को उचित सलाह एवं सहायता देगें, जिससे महिला को राहत मिल सकें।

6. महिला एवं बाल डेस्क की व्यवस्था एवं वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए ताकि व्यथित महिला सुरक्षित अनुभव कर सके और अपनी बात बिना किसी दुविधा के व्यक्त कर सकें;

7. व्यथित महिला के आने पर उसे तसल्ली दी जानी चाहिए परन्तु किसी प्रकार का ऐसा आश्वासन नहीं दिया जाना चाहिए जो संभव न हो;

8. महिला की बात धैर्यपूर्वक सुननी और समझनी चाहिए। उसके द्वारा दिये गये तथ्यों का विश्लेषण करते हुए उसके समक्ष विकल्प रखने चाहिए ताकि वह उचित विकल्प का चयन कर सके और तद्नानुसार डेस्क द्वारा कार्यवाही की जा सकें;

9. यदि किसी प्रसंग में किन्हीं अन्य लोगों को बुलाना व उनसे जानकारी लेना या उन्हें निर्देशित करना आवश्यक हो तो संबंधित महिला से इस बारे में सलाह अपेक्षित होगी और उसके चाहने पर ही उन लोगों को बुलाया जाएगा;

10. महिला द्वारा दिए गए घटना व तथ्यों का विवरण गोपनीय दस्तावेज माने जाएंगे और जब तक किसी कानून में अपेक्षित न हो, इस बारे किसी को नहीं बताया जाएगा और न ही कोई दस्तावेज दिया जाएगा;

11. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना मांगे जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के उपवाक्य (e) व (g) को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जाएगी;

12. किसी महिला द्वारा अपने बालिका/बालक के सन्दर्भ में सलाह एवं मार्गदर्शन का आग्रह किया गया है तो ऐसे प्रकरण में बाल कल्याण अधिकारी का सहयोग लिया जाएगा;

13. प्रत्येक प्रकरण निर्धारित रजिस्टर में अंकित किया जाएगा तथा उसमें की गई कार्यवाही का विवरण भी दिया जाएगा;

14. प्रत्येक प्रकरण के लिए अलग–अलग पत्रावली संधारित की जाएगी जिसमें महिला द्वारा दिए गए तथ्यों एवं की

गई कार्यवाही सम्मिलित करने के साथ–साथ प्रगति का भी समावेश किया जाएगा।

15. किसी महिला और बच्चे के साथ हुई मारपीट, हिंसा की स्थिति में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जावेगी, चाहे वह महिला/बालक प्रकरण दर्ज कराने में इच्छुक हो अथवा नहीं हो।

डेस्क के कार्य निम्न प्रकार से होंगे :–

यह डेस्क महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में थाने पर प्रथम संपर्क बिन्दु के रूप में कार्य करेगी, यहां क्षेत्राधिकार का प्रश्न नहीं होगा। यदि महिला का प्रकरण संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं भी आता है तब भी महिला के सम्पर्क करने पर उस महिला को सुना जाएगा, उसे आगे की कार्यवाही के संबध में बताया जाएगा तथा प्रकरण की संक्षिप्त भूमिका के साथ उसे संदर्भित थाने को प्रेषित किया जाएगा।

(क) आपराधिक प्रकरणों में कार्यवाही

- जहां कोई महिला किसी हिंसा या किसी आपराधिक कार्यवाही की शिकायत लेकर आती है तो उसके द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर थाना प्रभारी से परामर्श कर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करायी जावें;
- महिला को प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद/पाबंदी के आशय के साथ–साथ उसके प्रभाव से भी अवगत कराया जाना चाहिए। महिला को पारिवारिक अदालत में प्रकरण दर्ज कराये जाने के बारे में भी समझाया जावें।

- महिला को की गई कार्यवाही तथा आगे की प्रक्रिया के बारे में बताया जाना चाहिए ताकि महिला जाँच एवं न्यायिक प्रक्रिया से परिचित हो सकें।
- महिला को समय–समय पर प्रकरण की प्रगति की सूचना मिलती रहनी अपेक्षित है।
- महिला को आवश्यकतानुसार सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

(ख) घरेलू हिंसा संबंधी प्रकरण

- महिला द्वारा घरेलू हिंसा संबंधी शिकायत पर दो प्रकार से कार्यवाही हो सकती है। महिला यदि चाहे तो 498 ए. भारतीय दण्ड संहिता के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है और दूसरे घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानुसार कार्यवाही की जा सकती है;
- यदि महिला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कार्यवाही चाहती है तो महिला एवं बाल डेस्क द्वारा निम्न प्रकार से कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
- अधिनियम की धारा 5 के अनुसरण में इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत आदेश, प्रतिकर आदेश या ऐसे एक से अधिक आदेशों के रूप में अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार,

सेवाप्रदाता एवं संरक्षण अधिकारियों की संरक्षण की सेवाएं, विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के उसके अधिकार तथा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के अधीन परिवाद दाखिल करने के उसके अधिकार, जो भी संगत हो के बारे में जानकारी दी जाएगी;

- उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही हेतु संबंधित संरक्षण अधिकारी को प्रकरण संदर्भित किया जाएगा;
- यदि किसी कारणवश संरक्षण अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो डेस्क का प्रभारी अधिकारी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम 2006 के अंतर्गत प्रारूप–1 में घरेलू घटना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेगा। इसकी एक प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी;
- यदि महिला को आश्रय की आवश्यकता है तो उसे उक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित निकट के किसी आश्रयगृह में प्रवेश दिलाया जावें।
- महिला की सहायता के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सेवाप्रदाता की सलाह एवं सहायता ली जा सकेगी।
- जहां महिला को चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता हो वहां उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी आवश्यक होगी।

- आकस्मिक परिस्थितियों में यदि कोई महिला या कोई अन्य व्यक्ति महिला पर कारित अत्याचार के बारे में सूचित करता है तो (यदि संभव हो तो संबंधित संरक्षण अधिकारी के साथ) महिला संरक्षण हेतु कार्यवाही की जानी होगी;
- जब कभी इस अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिए गए संरक्षण आदेश की अवहेलना के बारे में शिकायत प्राप्त हो तो उस पर अधिनियम के प्रावधानुसार कार्यवाही की जावें (इस धारा के अंतर्गत न्यायालय द्वारा पारित संरक्षण आदेश की अवेहलना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है)

(ग) सलाह एवं मार्गदर्शन

कई प्रकरणों में महिलाऐं अपनी व्यथा के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं चाहती हैं परन्तु उन कारणों जिनसे वेदना या व्यथा है का निराकरण चाहती है। कई समस्याऐं बिना किसी कानूनी कार्यवाही के सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर सुलझ सकती हैं। ऐसे प्रकरणों में उपयुक्त सलाह एवं मार्गदर्शन के जरिए समस्या का निदान किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में डेस्क द्वारा निम्न कार्य किये जा सकते हैं–

- किसी महिला को परामर्श की आवश्यकता होने पर जिले में स्थापित महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र से संपर्क स्थापित कर प्रकरण में राय ली जावें अथवा विस्तृत विचार–विमर्श के लिए, यदि महिला चाहे, तो प्रकरण केन्द्र को संदर्भित किया जावें।

- महिला को कानूनी सलाह और कार्यवाही के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क सेवाऐं उपलब्ध कराने में सहयोग दिया जावें।

- आवश्यकता पड़ने पर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संबंधित संरक्षण अधिकारी को संदर्भित किया जावें।

- महिलाओं के विशेष समूह जैसे एच.आई.वी. पीड़ित, निशक्त अथवा मानसिक बीमार आदि के लिए लागू कानूनों/योजनाओं की जानकारी दी जावें और इस प्रकार की महिला द्वारा संपर्क किए जाने पर उन्हें सहयोग दिया जावें।

- महिला एवं बाल डेस्क कर्मियों द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाऐं और उनके हित में लागू योजनाओं की जानकारी रखी जावें और संबंधित महिलाओं के संपर्क करने पर उचित सलाह/मार्गदर्शन व सहायता की जावें।

- महिलाओं एवं बालकों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए जाने की दृष्टि से जनचेतना हेतु समय–समय पर विभिन्न संस्थाओं के साथ समन्वय एवं कार्यशालाऐं आयोजित की जावें तथा महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनों पर जन साधारण की जानकारी बढ़ाने में सहयोग किया जावें।

(घ) बालक संबंधी प्रकरण

- बालकों के संबंध में प्रकरण प्राप्त होने या संदर्भित होने पर कार्यवाही करने हेतु प्रत्येक थाने पर बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्त की गई है।
- बाल कल्याण अधिकारी द्वारा विहित कानूनी प्रावधानों जैसे किशोर न्याय अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम आदि के अंतर्गत प्रकरण निष्पादित किये जायेगें।
- बाल कल्याण अधिकारी की अनुपस्थिति में महिला एवं बाल डेस्क पर उपलब्ध अधिकारी/कर्मी द्वारा प्रारंभिक कार्यवाही की जावें तथा बाल कल्याण अधिकारी के माध्यम से कार्यवाही कराने में सहयोग दिया जावें।
- जहां आवश्यक हो वहां संबंधित महिला एवं बालक को मनोचिकित्सा/दुभाषिये, शिक्षक, विधिक एवं सामाजिक विशेषज्ञ की सेवाऐं उपलब्ध करवायी जावें।

(ङ) समन्वय

महिला एवं बाल डेस्क निम्न के साथ समन्वय रखेगी

- राज्य महिला आयोग/बाल संरक्षण आयोग
- जिले में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र
- परिक्षेत्र से संबंधित संरक्षण अधिकारी
- सेवाप्रदाता संस्था
- आश्रयगृह
- चिकित्सा सुविधाऐं
- क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संस्थाऐं
- बाल कल्याण समिति

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
- महिला/चाइल्ड हैल्पलाईन
- महिला/चाइल्ड हैल्पलाईन से प्राप्त सूचना के आधार पर महिला एवं बाल डेस्क तुरन्त कार्यवाही करेगी या करने में सहयोग देगी।
- समस्त समन्वय एजेन्सियों की सूची भी महिला एवं बाल डेस्क पर उपलब्ध रहेगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किया जा सकें।

सलाहकार मण्डल

- महिला एवं बाल डेस्क के पास विभिन्न आयोगों यथा राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, महिला संगठनों, एनजीओज, बाल कल्याण समिति, बाल सुधार गृह, वन स्टॉप क्राइसिस सेन्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, कानूनी सलाहकार, महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र आदि के टेलीफोन नम्बर पता आदि की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए उक्त नम्बरों को थाने के सूचन पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जावे ताकि आने वाली पीड़ित महिला को उसकी आवश्यकतानुसार सहायता उपलब्ध कराई जा सकें।

रिकार्ड

- महिला एवं बाल डेस्क प्रभारी एक परिवाद रजिस्टर संधारित करेगें जिसमें पीड़िता का नाम एवं पता, उसकी शिकायत तथा की गई कार्यवाही एवं दी गई राहत का संक्षिप्त विवरण अंकित किया जावेगा। थानाधिकारी द्वारा उसे समय–समय पर चैक किया जावेगा।
- पुलिस अधीक्षक, अति0 पुलिस अधीक्षक, वृताधिकारी जब भी थाने का भ्रमण करेगें तब डेस्क के बारे में आवश्यक जानकारी लेगे एवं बेहतरीन तरीके से कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक सुझाव देगें एवं डेस्क रजिस्टर में अपनी टिप्पणी भी अंकित करेंगे।

प्रबोधन (पर्यवेक्षण)

महिला एवं बाल डेस्क के कार्य का नियमित प्रबोधन/पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है।

(क) राज्य स्तर पर

- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राइटस)
- पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के अधीन पुलिस अधीक्षक (सिविल राइटस), राज्य नोडल अधिकारी होगें।

(ख) जिला स्तर पर

(i) जयपुर व जोधपुर

- जयपुर और जोधपुर जिलों में संबंधित पुलिस आयुक्त द्वारा समय–समय पर बैठक आयोजित कर महिला एवं बाल डेस्क के कार्य एवं संचालन की नियमित समीक्षा की जाएगी। इन दोनों जिलों में पदस्थापित महिला प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी नोडल ऑफिसर का कार्य करेंगें।

(ii) अन्य जिले

- जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय–समय पर बैठक आयोजित कर महिला एवं बाल डेस्क के कार्य एवं संचालन संबंधी समस्याओं की समीक्षा की जाएगी और डेस्क के कार्य और संचालन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कार्यवाही की जाएगी।

- जिला पुलिस अधीक्षक जिले में कार्यरत महिला एवं बाल डेस्क के कार्य में समन्वय की दृष्टि से किसी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकेंगें।

- संबंधित नोडल अधिकारी जयपुर, जोधपुर जिलों में पुलिस उपायुक्तों एवं अन्य जिलों में वृताधिकारी के साथ एवं राज्य नोडल के सम्पर्क में रहेगें और जिले में महिला एवं बाल डेस्क के कार्यों की त्रैमासिक रिपोर्ट भिजवाएंगे।

(ग) थाना स्तर

- थाने के प्रभारी अधिकारी वस्तुतः महिला एवं बाल डेस्क के प्रभारी अधिकारी के रूप कार्य करेगें। वे सुनिश्चित करेंगे कि डेस्क पर नियुक्त अधिकारी व कर्मी निर्धारित उद्देश्यों और उत्तरदायित्वों के अनुरूप कार्य करें।

- थाना प्रभारी नियमित रूप से प्रतिमाह प्रगति रिपोर्ट अति0 पुलिस अधीक्षक (नोडल अधिकारी) को देंगे।

- संबंधित पुलिस उपायुक्त/वृताधिकारी जब भी थाना भ्रमण पर जाएंगे वे महिला एवं बाल डेस्क के कार्य का निरीक्षण करेंगे।

- डेस्क पर संबंधित अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

- वृताधिकारी डेस्क के कार्य संचालन में पाई गई कमियों की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजेगें तथा कमियों को अपने स्तर से दूर करने का प्रयास करेगें।

प्रबोधन (पर्यवेक्षण) हेतु बैठकें

(क) राज्य स्तर पर कम से कम 6 माह में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें कम से कम 3 महिला प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना अपेक्षित होगा।

(ख) जिला स्तर पर कम से कम 3 माह में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें कम से कम 3 महिला प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना अपेक्षित होगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

- महिला एवं बाल डेस्क द्वारा संपादित कार्यों के बारे में सभी जिलों से निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक (सिविल राइट) को भेजी जाएगी।
- राज्य नोडल अधिकारी द्वारा संकलित रिपोर्ट के आधार पर वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
- यह प्रतिवेदन कलेण्डर वर्ष के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रशिक्षण

- महिला एवं बाल डेस्क पर कार्यरत अधिकारियों व पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जावेगें।
- इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी।
- प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की

जानकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग एवं बाल संरक्षण आयोग की जानकारी, महिलाओं एवं बालकों से पूछताछ के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं एवं बालकों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों की जानकारी, पुलिस मुख्यालय द्वारा महिलाओं एवं बालकों के प्रति जारी आदेशों की जानकारी का ज्ञान एवं अन्य सम्बंधित जानकारी का प्रशिक्षण दिलवाया जावें।

- डेस्क पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मियों को महिला एवं बाल डेस्क के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के वहन एवं कार्य निष्पादन के संबंध में प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- प्रशिक्षण के दौरान महिला एवं बालकों संबंधी कानूनों की जानकारी के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर भी चर्चा की जावेगी।
- प्रशिक्षण में पुलिस अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों, महिला संगठनों के परामर्शदाताओं, कानूनी सलाहकार, न्यायिक सेवा, अभियोजन विभाग एवं अन्य महिलाओं से जुड़े हुए विभागों को प्रशिक्षण में बुलाया जावेगा।

प्रोफार्मा

महिला डेस्क रजिस्टर

क्र.स.	दिनांक	महिला का नाम	थाने पर आने का समय	अकेली आई है या किसी के साथ	अगर कोई साथ आया हो तो उसका नाम/ पता/फोन	किस स्थिति में	क्या चाहती है एफ.आई आर/पाबन्दी परिवाद सलाह/ परिवाद परामर्श	लिखित में कुछ दिया है, उस पर टिप्पणी	क्या सलाह दी, क्या कार्यवाही की, उसका ब्यौरा	अगर कही भेजा है तो पत्र डिस्पेच नं.	डेस्क इन्चार्ज के हस्ताक्षर
1.											
2.											